Sanjay Kumar-II
District & Addl. Sessions Judge-1st
Khagaria

State through Geeta Devi Vs Mohit Yadav
ST No. 135 of 2018
Khagaria(Muffasil) PS Case No. 373 of 2006
CIS No. 135 of 2018)

जिला– खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

ST No. 135 of 2018
Khagaria(Muffasil) PS Case No. 373 of 2006
CIS No. 135 of 2018)

राज्य (द्वारा गीता देवी)....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब ना म

1. मोहित यादव,
पिता– सुधीर मंडल,
साकिन दुर्गापुर, थाना मुफ्फसिल, जिला खगड़िया।

..... अभियुक्त

आरोपित धाराएँ 366 IPC.

संजय कुमार

अभियोजन की ओर से – श्री महेश कुमार सिंह
विद्वान अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से – श्री अनिल कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार–।।**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 16वीं मार्च 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त मोहित यादव के विरूद्ध धारा 366 IPC के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक गीता देवी के लिखित आवेदन पर आधारित है, जिसमें उसने कथन किया है कि दिनांक 21.07.2006 समय 7 से 8 बजे रात्री को मेरी पुतोह रिंकु देवी शौच करने घर से बाहर गई परन्तु काफी समय बीतने पर भी जब रिंकु देवी घर वापस नहीं आई तो चिन्तित होकर इधर उधर पास पड़ोस में पता किया परन्तु पता नहीं चल सका। दूसरे दिन

भी 22.07.2006 को भी रिंकु देवी को काफी खोजबीन किया गया एवं सगे सम्बन्धी में भी पता कराया गया पर पता नहीं चल सका। मेरे पुत्र विपिन दास जो रिंकु देवी का पति है, पंजाब में काम करता है, उसे भी सूचना दिया वहाँ भी रिंकु देवी नहीं पहुँची है। रिंकु देवी अपने 7 माह की पुत्री को घर में छोड़कर गई है। फिर मेरे गाँव के हीं मोहित यादव बराबर मेरे घर पर आकर कहता है कि रिंकु देवी दो चार दिन में मौजमस्ती करके वापस आ जायेगी। घबराने की कोई बात नहीं है और यह भी कहता है कि रिंकु देवी जहाँ एवं जिसके साथ है, मुझे इसकी जानकारी है। मुझे पुरा विश्वास है कि मेरे ग्रामीण मोहित यादव का मेरे पुतोह को गायब करने में पुरा हाथ है।

3. सूचक के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त मोहित यादव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। इस वाद में अपराध का संज्ञान लिया गया तथा वाद का द्वारा माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जहाँ से यह अभिलेख विचारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

संजय कुमार

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST * KHAGARIA *

4 न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

म न त व य

5. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में एकमात्र सूचक साक्षी गीता देवी का साक्ष्य कराया गया है। इन्होंने अपने मुख्य बयान घटना का आंशिक समर्थन करते हुये कथन किया है कि घटना 18 वर्ष पहले की है। मेरी पुतोहु रिंकु देवी शोच के लिए गयी और उधर से लापता हो गई। खोजबीन करने पर नहीं मिली तब मोहित यादव बोला कि दो से चार दिन में वापस आ जायेगी टेन्शन मत लिजिये। नहीं आने पर शंका के आधार पर अभियुक्त पर केस कर दिया। इस साक्षी ने मुख्य

बयान में घटना का आंशिक समर्थन किया है। परन्तु प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि शंका के आधार पर मोहित यादव के उपर केस की थी। बाद में पता चला कि मोहित यादव निर्दोष है और घटना में उसका कोई हाथ नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में मोहित यादव को स्पष्ट रूप से निर्दोष कहा है तथा घटना में उसकी संलिप्तता नहीं कहा है। इस प्रकार इस साक्षी का बयान में काफी विरोधाभास है तथा संगतता का आभाव है। बहरहाल, मामला में अनुसंधानक का साक्ष्य नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है। जिससे अभियोजन के वाद को समर्थन प्राप्त हो सके। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

आदेश

6. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त मोहित यादव के विरूद्ध गठित धारा 366 IPC के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त मोहित यादव को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

16.03.26

(संजय कुमार–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
16.03.2026

16.03.26

(संजय कुमार–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
16.03.2026

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★